राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर– 302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ–4(ई)वी–3031/2013/अलेसे–III/1516 दिनांकः– 09/12/2024

कार्यालय आदेश

श्रीमती विनीता परमार हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II द्वारा दिनांक 31.01.2024 को विभाग में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। श्रीमती परमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण नही किए जाने पर माननीय न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9237/2024 दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.07.2024 को आदेश पारित कर श्रीमती परमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 31.01.2024 को 06 सप्ताह में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गये।

श्रीमती विनीता परमार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में वर्ष 2022–2023 में कनिष्ठ लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद हुई पदोन्नति में उनसे निकटतम कनिष्ठ राज सेवक को दी गई पदोन्नति दिनांक से ही पदोन्नत करने तथा उसी दिनांक से वेतन निर्धारण करने के लिए अनुतोष चाहा गया है।

श्रीमती परमार के वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 में वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित किए जाने के कारण उनकी पदोन्नति नही की गई। निदेशालय द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक 738–743 दिनांक 23.12.2022 के द्वारा वर्ष 2020–21 एवं आदेश क्रमांक 931 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा वर्ष 2021–22 के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टि को अमान्य करते हुए संतोषप्रद स्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम–1963, के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत पूर्व वर्षो एवं वर्ष 2023–24 की रिक्तियों पर विचारार्थ गठित पुनर्विलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 की अनुशंषा के आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II के पद पर चयन किये जाने के उपरान्त विभागीय आदेश क्रमांक 649 दिनांक 08.08.2024 के द्वारा श्रीमती परमार को उनसे निकटतम कनिष्ठ राज सेवक को दी गई पदोन्नति दिनांक 01.04.2022 (डीपीसी वर्ष 2022–23) से पदोन्नति की जा चुकी है एवं दिनांक 01.04.2022 से ही वेतन निर्धारण हेतु कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किए जाने पर उनके कार्यालय आदेश दिनांक 30.09.2024 के द्वारा वेतन का निर्धारण किया जा चुका है।

वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.10.2017 के अनुसार अनुसार पदोन्नति पद पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण दिनांक से दिए जाने का उल्लेख किया गया है। **"If DPC is held in the current year and promotion order is issued in the next year, fixation of pay on promoted post shall be made on notional basis from 1st April of the DPC year in respect of post carried forward from the previous year or from the date of vacancy against which the selection is made or if it is not possible to identify the actual date of vacancy of post, the notional fixation of pay shall be made on 31st march of the DPC year, as the case may be and actual payment be made from the date charge taken over of the promotion post.''**

उपरोक्तानुसार श्रीमती विनीता परमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर नियमानुसार कार्यवाही की जा चुकी है, अतः एतद् द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ–4(ई)वी–3031/2013/अलेसे–III/1516 दिनांकः– 09/12/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्रीमति विनीता परमार सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, कार्यालय निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)